87. 4 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों में विभिन्न बोर्ड स्तरीय पदों के लिए अर्हता/अनुभव निर्धारित करना।

अद्योहस्ताक्षरी को निदेश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त विषय पर 18 सितंबर, 2008, 8 अप्रैल, 2009 और 24 जून, 2009 (प्रतिलिपियां संलग्न) के समसंख्यक का. ज्ञा. देखें।

2. उपरोक्त मामले पर सचिव समिति (सीओएस) द्वारा उनकी 29 अक्तूबर, 2010 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था। सीओएस ने पाया कि *"मंत्रालयों द्वारा डीपीई/पीईएसबी के परामर्श से अर्हता/अनुभव/कार्यविवरण अद्यतन किया जाना शेष है। असहमति होने पर, मामला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास भेजा जाता है। यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित मंत्रालय द्वारा स्थिति की पीईएसबी को सूचना दिए जाने पर पीईएसबी पदों के अर्हता और पात्रता के नियमों की जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी और इस चरण पर संबंधित सीपीएसई से परामर्श कर यह निर्णय लेता है कि क्या पात्रता के मानंदडों में कोई बदलाव अपेक्षित है। यह महसूस किया गया था कि इस प्रक्रिया की वजह से खाली पदों को भरने में विलंब से बचा जाना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया था कि डीपीई और पीईएसबी सभी मंत्रालयों/विभागों को यह प्रक्रिया, छ माह के भीतर पूरी करने के लिए लिखें। मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न पदों हेतु अर्हता/अनुभव/कार्य विवरण का अंतिम निर्णय किए जाने पर, यह पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा जिससे हर बार रिक्ति होने पर समीक्षा की जरूरत नहीं होगी। पीईएसबी सूचना के प्रयोजनार्थ अपनी वैबसाईट पर अर्हता/ अनुभव/कार्य का विवरण अब अपलोड करेगा।*

3. अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि वे सीओएस के उपरोक्त निर्णय का अनुपालन करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के तहत केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में विभिन्न बोर्ड स्तरीय पदों हेतु भर्ती नियमावली (कार्य विवरण, अर्हता और भर्ती नियम) की समीक्षा/अद्यतनीकरण/उन्हें बनाने हेतु तत्काल कार्रवाई करें। इस संबंध में छाया प्रति सहित स्थिति रिपोर्ट को पीईएसबी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जा सकता है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(23)/2005–जीएम, दिनांक 24 फरवरी, 2010)

*****